न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—423/2019/75 (2019/00423)

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र पुखराज, जाति जैन, निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार ।
2. पुखराज पुत्र भंवरलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— ज्ञानचंद पुत्र पुखराज,
   2/2— जम्बू कुमार पुत्र पुखराज,
   2/3— महीप जैन पुत्र पुखराज,
   2/4— सतीश कुमार पुत्र पुखराज,
3. अशोक पुत्र सोहनलाल,
4. दिलीप कुमार पुत्र सोहनलाल,
   समस्त जाति जैन निवासी ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।
5. श्रीमती फीमी पत्नि सुल्तान,
6. श्रीमती आलिया खातून पत्नि लियाकत हुसैन सैयद, जाति मुसलमान निवासी खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, अजमेर दिनांक 8.2.2013 .

उपस्थितः—

1. श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, वकील अपीलांट ।
2. विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/4.
4. श्री एन0एस0 राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 5 व 6.

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2024

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 8.2.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नंबर 2440/1 व 2439 ग्राम खरवा तहसील मसूदा में स्थित है । उपरोक्त खातेदारी भूमि से चिपती हुई आराजी खसरा नंबर 2444 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा किस्म सिवायचक स्थित है । उक्त सिवायचक भूमि आराजी खसरा नंबर 2444 में 3 बिस्वा भूमि पर 50 वर्ष पुराना कुंआ खुदा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

हुआ है उक्त कुएं को आराजी खसरा नंबर 2440/1 के पूर्व खातेदारों द्वारा खुदवाया गया था । अपीलांट व रेस्पो0 संखया 2 लगायत 4 द्वारा पूर्व खातेदार से आराजी खसरा नंबर 2440/1 क्रय की थी जिसमकें भी उक्त कुंए को अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 द्वारा क्रय किया गया था। अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 4 उक्त कुंए को वर्ष 1987 से अपनी खातेदारी भूमि की सिचांई हेतु उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है । हाल ही में प्रशासन गांव के संग अभियान में अपीांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नंबर 2444 रकबा 5 बिस्वा 9 बिस्वा भूमि में से 3 बिस्वा भूमि पर पूर्व से स्थित कुंए को उनके पक्ष में नियमन किये जाने का निवेदन किया जिस पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपने आदेश दिनांक 6.2.2013 द्वारा सिंचाई के परियोजना के लिए कुंए खोदने एवं पम्प सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन नियम 1979 एवं संशोधित नियम 2009 के तहत उत भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पक्ष में नियमन करते हुए उनके पक्ष में लीज डीड जारी करते हुए पट्टा विलेख निष्पादित कर दिया । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 4 ने उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 6.2.2013 की पालना में लीज डीड में दर्शायी राशि 25, 719/– रू0 राजकोष में जमा करा दिये । इसके पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने बिना अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 को सुने एवं नोटिस जारी किये आदेश दिनांक 8.2.2013 द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पक्ष में पारित आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 6.2.2013 को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया । इस कारण अधी0न्याया0 का आदेश न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रशासन गांव के संग अभियान में अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से विवादित आराजी खसरा नंबर 2444 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 3 बिस्वा भूमि पर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 द्वारा वर्षो से काम में लिये जा रहे कुंए को नियमन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर पूर्ण जांच किये जाने के पश्चात् विवादित भूमि पर निर्मित कुंए को अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 का होना मानते हुए उक्त भूमि आवंटन नियम 1979 संशोधित नियम 2009 के तहत उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 को आवंटन/नियमन दिनांक 6.2.2013 को नियमन कर दी थी । उक्त आदेश की पालना में अपीलांट की ओर से उसी दिनांक को लीज डीड में दर्शायी राशि 25,719/–रू0 राजकोष में जमा करा दी गई थी जिसकी रसीद संख्या 057329/00043 है । आदेश दिनांक 6.2.2013 के पश्चात् अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के विवादित आराजी के संबंध में किसी अन्य प्रकरण में स्थगन आदेश होना मानते हुए आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जबकि उनके लिए यह आवश्यक था कि वे आदेश अंतर्गत अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते । प्रशासन गांव के संग अभियान में आवंटन सलाहकार समिति ने आदेश दिनांक 6.2.2013 को पारित किया था। उक्त आदेश से यदि कोई व्यक्ति व्यथित था तो उसे उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी । अधी0न्याया0 ने स्वंय को किसी व्यक्ति के कथन मात्र से पूर्व में पारित आदेश को संशोधित करने का अधिकार नहीं था । पूर्व में पारित आदेश आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित किया गया है ऐसी स्थिति में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आदेश को उपखण्ड अधिकारी, मसूदा अकेले संशोधित करने के अधिकारी नहीं थे । विवातिद भूमि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की खातेदारी भूमि से

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सटी हुई है । विवातिद आराजी खसरा नंबर 2444 के अन्य चिपते हुए खातेदारों ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 को नियमन किये जाने में अपनी सहमति दर्शाई है । ग्राम पंचायत खरवा ने भी इस बाबत् बाबत् प्रमाण पत्र अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पक्ष में दिया था कि उक्त भूमि पर अपीलांट द्वारा स्वंय के साधनों से कुआ खोदा हुआ है यदि इनके नाम चाह आंवटन किया जाता है तो पंचायत को किसी तरह की आपत्ति नही है । उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 6.2.2013 को आवंटन आदेश पारित किया था । अधी0न्याया0 ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पक्ष में पारित आवंटन आदेश दिनांक 6.2.2013 को आदेश दिनांक 8.2.2013 द्वारा निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.2.2013 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजी बाबत् अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है जिसमें विवादित आराजी बाबत दिनांक 24.2.2012 को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है । विवादित आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित होने से उक्त आराजी आवंटन/नियमन नहीं की जा सकती थी । अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त तथ्य ध्यान में आने पर अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 6.2.2013 को निरस्त किये जाने संबंधी आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 6.2.2013 को अपीलांट पुखराज पुत्र भंवरलाल एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र पुखराज, अशोक पुत्र सोहनलाल, दिली कुमार पुत्र सागरमल पदावत जैन साकिन खरवा को खसरा नंबर 2444 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा में से 3 बिस्वा पर निर्मित चाह का आवंटन/नियमन किया है। उक्त आवंटन आदेश पारित करने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 5 व 6 ने उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को एक पत्र दिनांक 7.2.2013 को प्रेषित किया है जिसमें अंकित किया है कि " खसरा नंबर 2444 व 2440/2 सरकारी भूमि पर हमारा सदिया से कब्जा काश्त चला आ रहा है । विवादित भूमियों क खातेदारी प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर रखा है जिसके साथ धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र संख्या 16/2012 भी पेश किया है जिसमें हमारे हक में स्थगन आदेश भी जारी हो रखा है तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.3.2013 नियत है । " अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी0न्याया0 को यह जानकारी हुई कि दिनांक 6.2.2013 को खसरा नंबर 2444 में 3 बिस्वा चाह भूमि का आवंटन अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पक्ष में किया गया है किन्तु उक्त खसरा नंबर 2444 बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा ही प्रकरण संख्या 16/2012 में आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.3.2013 तक स्थगन आदेश जारी किया हुआ है । इस प्रकार अपीलांट को किये गये आवंटन की दिनांक 6.2.2013 को विवादित भूमि बाबत् स्थगन आदेश होने से उक्त भूमि बरवक्त आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। इसी कारण अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.2.2013 को संशोधित आदेश पारित कर अपने द्वारा पूर्व में पारित आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 6.2.2013 को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित संशोधित आदेश दिनांक 8.2.2013 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित संशोधित आदेश दिनांक 8.2.2013 यथावत् रखा जाता है । न्यायहित में अधी0न्याया0 को यह निर्देश दिये जाते है कि अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 16/2012 में पारित होने वाले निर्णय के परिपेक्ष्य में प्राथमिकता से प्रार्थी/अपीलांट के आवंटन/नियमन प्रकरण में नियमानुसार आवंटन/नियमन की कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर